



भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई
(कर्मचारी प्रशिक्षण एवं उत्पादकता प्रभाग)

कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में "प्रभावी संचार" पर 3-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 3 से 5 दिसंबर 2025 तक।

डीजीएफएसएलआई के अंतर्गत सीएलआई के बारे में

डीजीएफएसएलआई भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक अटैच्ड ऑफिस है और यह फैक्ट्रियों और डॉक्स में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हेल्थ पर नेशनल पॉलिसी बनाने में मंत्रालय की मदद करने के लिए एक टेक्निकल विंग के तौर पर काम करता है। डीजीएफएसएलआई के तहत सेंट्रल लेबर इंस्टीट्यूट (CLI) की एक्टिविटीज़ काम करने के तरीकों और काम करने की स्थितियों को बेहतर बनाने पर फोकस करती हैं ताकि इंडस्ट्रियल वर्कर्स की सेफ्टी, हेल्थ और प्रोडक्टिविटी के साथ-साथ उनकी वर्क लाइफ की क्वालिटी भी बेहतर हो सके।

कार्यक्रम के बारे में

कारखाना अधिनियम, 1948 कार्यस्थल पर श्रमिकों/कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रबंधन द्वारा स्व-विनियमन नियंत्रण पर जोर देता है। उक्त अधिनियम की धारा 41(जी) सुरक्षा समितियों के गठन के माध्यम से कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य बनाए रखने में श्रमिकों और प्रबंधन की भागीदारी को बढ़ावा देने की वकालत करती है। औद्योगिक लोकतंत्र का लक्ष्य इस बात पर निर्भर करता है कि सुरक्षा पेशेवर किस हद तक सहयोगी, प्रतिबद्ध और परस्पर विश्वास रखते हैं। इसके लिए सुरक्षा पेशेवरों, विशेष रूप से सुरक्षा समितियों के सदस्यों के पास ठोस ज्ञान, कौशल और प्रभावी संचार होना आवश्यक है। एक आवश्यक योग्यता के रूप में

प्रभावी संचार कार्यस्थलों पर सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और कार्य वातावरण से संबंधित समस्याओं को हल करने में मदद करता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम इस उद्देश्य पर आधारित है कि दुकान और/या संयंत्र स्तर पर प्रभावी संचार और भागीदारी विकसित की जानी चाहिए जहां सदस्य आवश्यकता महसूस करते हैं और भाग लेने में सक्षम और इच्छुक हैं।

कार्यक्रम का उद्देश्य

यह प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स को सेफ्टी और हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को एक साथ मिलकर सुलझाने के लिए 'नॉलेज और असरदार कम्युनिकेशन स्किल्स' देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे वर्कप्लेस पर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जो 'विकसित भारत' के लक्ष्य को पाने में सहायक होगा।

कार्यक्रम की मुख्य बातें

- कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर राष्ट्रीय नीति
- सुरक्षा समिति के कामकाज सहित कार्यस्थल पर प्रभावी कर्मचारी भागीदारी में संचार की भूमिका।
- कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रावधान और OSH&WC कोड, 2020 के तहत संबंधित प्रावधान
- खतरा संचार: कार्यस्थल सुरक्षा के लिए सुरक्षा डेटा शीट/सामग्री सुरक्षा डेटा शीट।
- कार्यस्थल पर कार्य वातावरण निगरानी के लिए संचार
- व्यवसाय स्वास्थ्य खतरे और उनका प्रबंधन
- परिणामों के लिए प्रभावी टीम निर्माण और सहयोग
- सुरक्षित और उत्पादक कार्यस्थल के लिए प्रभावी संचार के माध्यम से संघर्ष समाधान।

विधि

व्याख्यान, समूह चर्चा, केस स्टडी, रोल-प्ले, प्रदर्शन और अभ्यास तथा ऑडियो-विजुअल, आदि

संकाय

सीएलआई मुंबई के विशेषज्ञ और उद्योग/प्रीमियम संस्थानों के अतिथि संकाय

भागीदारी का स्तर

सुरक्षा समिति के सदस्य, सुरक्षा अधिकारी, फैक्ट्री मेडिकल अधिकारी और उत्पादन, रखरखाव, विपणन, खरीद, मानव संसाधन और कार्मिक विभागों के प्रतिनिधि और कार्यस्थल पर

सभी क्षेत्रों के यूनियन प्रतिनिधि। इच्छुक व्यक्ति भी भाग ले सकते हैं।

तिथि और समय:

तीन दिन – 3 से 5 दिसंबर 2025, 1000 से 1700 बजे तक।

स्थान

प्रशिक्षण हॉल, केंद्रीय श्रम संस्थान की पहली मंजिल, मुख्य भवन, सायन, मुंबई - 400 022

प्रशासनिक विवरण

1) संस्थान शुल्क: प्रति प्रतिभागी 5000/- (केवल पाँच हज़ार रुपये) प्रशिक्षण समन्वयक से पुष्टि प्राप्त करने के बाद ही भारतकोश पोर्टल के माध्यम से देय है। प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने पर प्रत्येक प्रतिभागी को प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

2) पंजीकरण: इच्छुक उम्मीदवार 1 दिसंबर 2025 तक या उससे पहले प्रशिक्षण समन्वयक को ईमेल द्वारा विधिवत भरा हुआ पंजीकरण फॉर्म भेजकर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण कर सकते हैं। भारतकोश पोर्टल (<https://bharatkosh.gov.in>) के माध्यम से प्रति प्रतिभागी 5000/- (केवल पाँच हज़ार रुपये) की संस्था शुल्क निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। इसके अलावा, संस्थान शुल्क में बोर्डिंग/लॉजिंग और रिक्रेशमेंट शामिल नहीं है। इसे प्रायोजक संगठन/व्यक्तिगत प्रतिभागी द्वारा वहन किया जाना है।

3) भुगतान प्रक्रियाएँ:

<https://bharatkosh.gov.in> पर लॉग इन करें त्वरित भुगतान मंत्रालय: 021 श्रम एवं रोजगार उद्देश्य: आयोजित कार्यशाला का प्रशिक्षण शुल्क या पाठ्यक्रम शुल्क वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ): 030263 - पीएओ (डीजीएफएसएलआई), मुंबई डीडीओ कोड: 230265 (केंद्रीय श्रम संस्थान, मुंबई)

टिप्पणी: "EC a tool for improving OSH"

4) आवास: रखरखाव के कारण वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

5) नामांकन: नामांकन अधिमानतः कंपनी के लेटर हेड पर भेजा जा सकता है, ताकि प्रभारी, एसटी एंड पी डिवीजन, केंद्रीय श्रम संस्थान, एनएस मनकीकर मार्ग, सायन, मुंबई -400 022 को 1 दिसंबर 2025 तक या उससे पहले पहुंच जाए।

6) कार्यक्रम निदेशक: श्री एस. एन. बोरकर, निदेशक (एसटी/पी), कार्यक्रम समन्वयक:

उपेंद्र सिंह, उप निदेशक (एसटी/पी),

Mobile No. 9619314517, E-mail: us@dgfasli.nic.in

Website: www.dgfasli.gov.in

नामांकन-सह-पंजीकरण फॉर्म
कार्यस्थल पर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एक
उपकरण के रूप में "प्रभावी संचार" पर 3-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, 3 से 5
दिसंबर 2025 तक।

केंद्रीय श्रम संस्थान, सायन, मुंबई – 400 022

प्रतिभागी का विवरण

नाम (स्पष्ट अक्षरों में)/Name (Block Letters) :

पद का नाम/Designation :

संचार के लिए पता Address for Communication:

Age :

Qualification :

Total Experience :

Mobile No. :

DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION

Name & Address :

Telephone No. / Mobile No. :

E-mail :

Fax No. :

ACCOMMODATION : Required / Not Required

PAYMENT DETAILS (Bharatkosh receipt number):

BELONGS TO: - :

(GEN / SC / ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

Signature



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
CENTRAL LABOUR INSTITUTE, MUMBAI
(ST&P DIVISION)

**3-Day Training Programme on
“Effective Communication - A tool for
Improving Occupational Safety and
Health at Workplace
from 3rd to 5th December 2025**

About CLI under DGFASLI

DGFASLI is an attached office of the Ministry of Labour & Employment, Government of India and serves as a technical arm to assist the Ministry in formulating national policies on occupational safety and health in factories and docks. The activities of the Central Labour Institute (CLI) under DGFASLI are geared to improve work methods and working conditions so as to enhance the safety, health and productivity of the industrial workers and also, their quality of work life.

About the Programme

The Factories Act, 1948 lays emphasis on self-regulating control by the management in providing measures for ensuring health and safety of workers/employees at workplace. The section 41(G) of the said Act advocates for promotion of participation of workers and management in maintaining safety and health at workplace through constitution of ‘**Safety Committees**’. The goal of industrial democracy depends on the extent to which safety professionals are co-operative, committed and have mutual trust. This requires safety professionals, especially members of ‘**Safety Committees**’ to possess sound knowledge, skills and ‘**effective communication**’. Effective communication, as an essential competency, helps in solving the problems related to Safety, Health, welfare

and work environment at workplaces. The training programme is based on the objective that effective communication and participation must be evolved at the shop and /or plant levels where the members feel the need and are able and willing to participate.

Programme Objective

The programme is designed to equip participants with the ‘**knowledge and effective communication skills**’ in approaching problems related to safety and health in a participative way resulting into higher workplace productivity leading to ‘**Viksit Bharat**’.

Programme Highlights

- National Policy on Safety, Health and Environment at Workplace
- Role of communication in effective Employee Participation at Workplace including functioning of ‘**Safety Committee**’.
- Safety & Health Provisions under the **Factories Act, 1948 and corresponding provisions under OSH&WC Code, 2020**
- Hazard Communication: Safety Data Sheet/Material Safety Data Sheet for work place safety.
- Communication for Work Environment Monitoring at workplace
- Occupation Health Hazards and their management
- Effective Team Building & Cooperation For Results
- Conflict Resolution through effective communication for safer and productive workplace.

Method

Lecture, Group discussion, Case study, Role-play, Demonstration and Exercises and Audio-visuals, etc

Faculty

Experts from CLI Mumbai and Guest Faculties from Industries/Premium Institutes

Level of Participation

Safety Committee Members, Safety Officers, Factory Medicals Officers and Representatives of the Production, Maintenance, Marketing, purchase, Human resource and personnel departments and union representatives of all areas at workplace. Interested individuals may also participate.

Date and Timings:

Three days – **3rd to 5th December 2025** from **1000 to 1700 hrs.**

Venue

Training Hall, First Floor of Central Labour Institute, Main Building, Sion, Mumbai - 400 022

Administrative Details

1) **Institute Fees:** Rs.5000/- (Rupees five thousand only) per participant is payable through Bharatkosh portal only **after getting confirmation from the Training Coordinator**. Certificate will be issued to each participant on completion of the training programme.

2) **Registration:** Interested candidates can register by sending duly filled in registration form by email to the training coordinator **on or before 1st December 2025** on first come first serve basis. Institution fee @ Rs 5000/- (Rupees Five thousand only) per participant through Bharatkosh portal (<https://bharatkosh.gov.in>) may be deposited online by using the following steps.

Further, the institute fees do not include boarding/lodging and refreshment. The same is to be borne by the sponsoring organization / individual participant.

3) **Payment procedures:**

Login to <https://bharatkosh.gov.in> Quick Payment

Ministry: 021 Labour & Employment

Purpose: Training Fee or Course fee of the workshop conducted

Pay & Account Office (PAO): 030263 - PAO (DGFASLI), Mumbai

DDO Code: 230265 (Central Labour Institute, Mumbai)

Remarks: “EC a tool for improving OSH”

4) **Accommodation:** Currently not available due to maintenance/renovation.

5) **Nomination:** Nomination preferably on company’s letter head may be sent, so as to reach to the In-Charge, ST&P Division, Central Labour Institute, N.S. Mankikar Marg, Sion, Mumbai –400 022, on or before **1st December 2025**.

6) **Programme Director:** Sh S. N. Borkar, Dir (ST/P),
Programme Coordinator

Upendra Singh, Dy Dir (ST/P)

Mobile No. **9619314517** E-mail: us@dglasli.nic.in

Website: www.dglasli.gov.in

NOMINATION-CUM-REGISTRATION FORM

3-Day training Programme on “Effective Communication - A tool for Improving Occupational Safety and Health at Workplace from 3rd to 5th December 2025

at

CENTRAL LABOUR INSTITUTE, SION, MUMBAI – 400 022

PARTICIPANT’S DETAILS

Name (Block Letters) :

Designation :

Address for Communication :

Age :

Qualification :

Total Experience :

Mobile No. :

DETAILS OF SPONSORING ORGANIZATION

Name & Address :

Telephone No. / Mobile No. :

E-mail :

Fax No. :

ACCOMMODATION : Required / Not Required

PAYMENT DETAILS (Bharatkosh receipt number):

BELONGS TO: - :

(GEN / SC / ST / OBC / PH / NER*)

*=North Eastern Region

Signature